

सेवा में,

जिला परिवहन पदाधिकारी,
मुजफ्फरपुर।

विषय :- COVID-19 हेतु लागू लॉक डाउन में अनिवार्य सेवा हेतु परिचालन की अनुमति के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषयक COVID-19 के कारण लॉग डाउन होने के फलस्वरूप आमजन घर से नहीं निकल पा रहे हैं। जिला प्रशासन द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में अनिवार्य सेवा के अन्तर्गत मेडिसीन, दवा, दुध, सब्जी, फल एवं राशन की आपूर्ति करने को सहमत हूँ।

अतः निम्नलिखित वाहनों को अनुमति हेतु पास निर्गत करने की कृपा की जाएँ।

1. आवश्यक वस्तु का नाम :-
2. चालक का नाम एवं पता :-
3. वाहन संख्या एवं वाहन स्वामी का नाम एवं पता :-
4. G.S.T. नं० :-
5. जिला का नाम जहाँ से सामग्री लाना है :-

अतः निर्धारित तिथि तक वाहन से किसी प्रकार के गलत उपयोग की सारी जिम्मेवारी मेरी होगी।

अनुलग्नक :-

विश्वासभाजन

1. G.S.T. की छायाप्रति।
2. चालक अनुज्ञप्ति की छायाप्रति।
3. वाहन के सभी अद्यतन कागजात की छायाप्रति।

व्यापारी का हस्ताक्षर:-.....
मोबाईल नं० :-.....
प्रतिष्ठान का नाम :-.....
एवं पता एवं ल०सं०:-.....
G.S.T. नं० :-.....
चालक का हस्ताक्षर :-.....
चालक का नाम :-.....
एवं पता :-.....
मोबाईल नं० :-.....
वाहन स्वामी का हस्ताक्षर :-.....
वाहन स्वामी का नाम एवं पूर्ण पता :-.....
मोबाईल नं० :-.....